भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **844**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

अपशिष्ट जल का कृषि के लिए उपयोग

844. डॉ. अमर सिंह:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस विचार/सुझाव पर ध्यान दिया है कि यदि कृषि के लिए अपशिष्ट जल में नष्ट होने वाले 84 प्रतिशत पोषक तत्वों को वापस पा लिया जाए और उनका पुनर्चक्रण कर दिया जाए तो उर्वरक की राष्ट्रीय खपत के चालीस प्रतिशत तक की बचत की जा सकती है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): अपशिष्ट जल से पोषक तत्वों की पुन: प्राप्ति और पोषक स्रोत के रूप में कृषि अपशिष्ट से पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण बाहरी रासायनिक आदानों को कम करने और वृत्तीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आईसीएआर द्वारा किए गए प्रायोगिक मामलों में पुन: प्राप्त किए गए पोषक तत्वों के साथ पादप वृद्धि और उपज क्षमता या तो पारंपरिक उर्वरक के समान या उससे बेहतर है। एकीकृत कृषि प्रणालियों और आर्गेनिक खेती पर अखिल भारतीय नेटवर्क कार्यक्रम पर एआईसीआरपी के माध्यम से आईसीएआर-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ने 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणालियों और आर्गेनिक खेती पर अनुसंधान किया जो अपशिष्ट जल सहित कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण पर केंद्रित था। परिणामों ने पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण की क्षमता को दिखाया, जिन्हें विभिन्न सरकारी स्कीमों के माध्यम से किसानों के खेतों में सम्पन्न किया जा रहा है। आईसीएआर इस संबंध में किसानों को शिक्षित करने और तकनीकी बैकस्टॉपिंग प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। हालांकि, प्रयोगों से पता चला है कि विषाक्त यौगिकों के साथ पुन: प्राप्त पोषक तत्व का संदूषण एक प्रमुख चिंता का विषय है।

****